

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20062020-220061 CG-DL-E-20062020-220061

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1740] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार जून 18, 2020/ज्येष्ठ 28, 1942 No. 1740] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1956(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ),दिनांक 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 418 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र.सं .	नया रारा सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
418	130 सीडी	छत्तीसगढ़ राज्य में अभनपुर के निकट रारा सं. 30 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर
		जानकी, उमरदा, दुधवा, पलना और ओडिशा राज्य में धनारा, मुर्तमा, नंदपुरा, तलबेरा,
		कार्की, पुजरीगुड़ा, संधुबुली, चांगन, कुंडुली, पुकली, तुंबीगुडा, आंध्र प्रदेश राज्य में अदरीपाडु,

	रामभद्रपुरम, मर्रीवासला, चिंतलावासला, सिरिरिपुरम और पिनागडी के निकट राज्यीय सड़क
	सं. 38 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में प्रकाशित की अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 175(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/2/2019-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1956(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 689(E) dated the 4th April, 2011, namely:-

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1) 418	(2) 130CD	 (3) The highway starting from its junction with NH-30 near Abhanpurconnecting Jhanki, Umarda, Dudhawa, Palna in the State of Chhattisgarh, Dhanara, Murtama, Nandapura, Talbera, Karki,Pujariguda, Sandubuli, Chhaagan, Kunduli, Pukali, Tumbiguda in the State of Odisha, Adaripadu, Ramabhadrapuram, Marrivalasa, Chintalavalasa, Sriripuram and terminating at its junction with SH-38 near Pinagadi in the State of Andhra Pradesh

TABLE

Footnote: The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted *vide* notification number S.O. 689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 175(E), dated 10thJanuary, 2020.

[F. No. NH-14012/2/2019-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.